रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102026-277150
CG-DL-E-14102026-277150

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5410] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 13, 2026/आश्विन 21, 1948
No. 5410] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 13, 2026/ASVINA 21, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5624(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2026 के अधिक्रमण में सिवाय ऐसे कार्यों के, जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए या जिन्हें किए जाने से छोड़ दिया गया, केन्द्र सरकार, जिसका ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जन हित में आवश्यक अथवा हितकर है, एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.- (1) इस आदेश को खाद्य और पेय पदाथों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे (गुणवत्ता नियंत्रण) दूसरा आदेश, 2026 कहा जाएगा।

(2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग- तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं या सामान तालिका के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी:

बशर्ते कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत यथा परिभाषित सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम क्रमशः तालिका के कॉलम (6) और (7) में विनिर्दिष्ट संगत प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे भारतीय मानकों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई बात ब्यूरो द्वारा प्रमाणित विनिर्माता या ऐसा विनिर्माता जिसने प्रमाणन के लिए ब्यूरो को आवेदन किया है या संगत वस्तुओं और सामानों के आयातक द्वारा, इस आदेश की तालिका में निर्दिष्ट कार्यान्वयन की तारीख से पहले घरेलू रूप से विनिर्मित या आयातित वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगा और ऐसे विनिर्माता या आयातक को तालिका के कॉलम (5), (6) और (7) में निर्दिष्ट कार्यान्वयन की तारीख से छह माह तक ऐसे घोषित स्टॉक को बेचने या प्रदर्शित करने या उसे बिक्री हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति होगी, जो इस शर्त के अध्यधीन होगी कि ऐसे विनिर्माता या आयातक, ब्यूरो को सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित इस आशय की घोषणा करेंगे:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश की कोई बात भारत में आयात किए जाने वाली ऐसे वस्तुओं या सामानों पर लागू नहीं होगी जिनमें ठोस, तरल या गैस के रूप में कोई सामग्री भरी हो:

बशर्ते यह भी कि इस आदेश में से कुछ भी खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे के विनिर्माताओं द्वारा अनुसंधान और विकास के उद्देश्य से प्रति वर्ष आयातित दो सौ वस्तुओं या सामानों के लिए लागू नहीं होगा, इस शर्त के साथ कि ऐसी आयातित वस्तुएं और सामान वाणिज्यिक रूप से बेचे नहीं जाएंगे और उन्हें स्क्रैप के रूप में निपटाया जाएगा तथा विनिर्माता ऐसी वस्तु या सामान का वर्षवार रिकॉर्ड रखेंगे और उसे केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

तालिका

क्रम सं.	**वस्तु या सामान**	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का शीर्षक**	**सामान्यतः कार्यान्वयन की तारीख (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर)**	**लघु उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख**	**सूक्ष्म उद्यमों के लिए कार्यान्वयन की तारीख**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	खाद्य और पेय पदार्थों के लिए कुकवेयर, बर्तन और डिब्बे	1660:2024	रॉट एल्यूमीनियम बर्तन	तत्काल प्रभाव से	तत्काल प्रभाव से	तत्काल प्रभाव से
2.		14407:2023	पेय पदार्थों के लिए एल्यूमीनियम के डिब्बे	1 अप्रैल, 2027	1 जुलाई, 2027	1 अक्टूबर, 2027

#टिप्पणी: इस तालिका के प्रयोजनों के लिए, भारतीय मानकों का नवीनतम संस्करण लागू होगा और ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित संशोधन, ऐसी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

3. **प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण –** उक्त ब्यूरो, तालिका के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामानों के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. **उल्लंघन के लिए पेनल्टी–** इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

[फा. सं. पी-29026/14/2023-एलईआई]

सुमित कुमार जारंगल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 13th October, 2026

S.O. 5624(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016) and in supersession of the Cookware, Utensils and Cans for Foods and Beverages (Quality Control) Order 2026, excepts as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, after consulting the Bureau hereby makes the following order, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (*1*) This Order may be called the Cookware, Utensils and Cans for Foods and Beverages (Quality Control) Second Order, 2026.

(*2*) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Compulsory use of Standard Mark**. - Goods or articles specified in column (2) shall conform to the corresponding Indian Standard specified in column (3), of the Table and shall bear the Standard Mark under a licence from the Bureau as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export:

Provided further that the micro enterprise and small enterprise, as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall conform to such Indian Standards from the date specified in the corresponding entry under columns (6) and (7) of the Table respectively:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles domestically manufactured or imported before the date of implementation specified in the Table of this order by the manufacturer certified by the Bureau or manufacturer who has applied to the Bureau for certification or by the importer for the relevant goods and articles and such manufacturer or importer shall be permitted to sell or display or offer to sell such declared stock up to six months from the date of implementation specified in columns (5), (6) and (7) of the Table, subject to the condition that such manufacturer or importer shall make a declaration to this effect certified by a Chartered Accountant to the Bureau:

Provided also that nothing in this order shall apply to goods or articles filled with material in any form solid, liquid or gas, when imported into India:

Provided also that nothing in this order shall apply for two hundred number of goods or articles imported for the purpose of research and development by manufacturers of cookware, utensils and cans for food and beverages per year with the condition that such imported goods and articles shall not be sold commercially and shall be disposed of as a scrap and the manufacturer shall maintain a year-wise record of such goods and articles and furnish to the Central Government.

TABLE

Sl. No.	Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard	Date of implementation in general (other than micro and small enterprises)	Date of implementation for small enterprises	Date of implementation for micro enterprises
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Cookware, utensils and cans for food and beverages	1660:2024	Wrought Aluminium Utensils	With immediate effect	With immediate effect	With immediate effect
2.		14407:2023	Aluminium cans for beverages	1st April, 2027	1st July, 2027	1st October, 2027

#Note. - For the purposes of this Table, the latest version of the Indian Standard including the amendments thereof, as notified by the Bureau from time to time shall apply from the date of such notification.

3**. Certification and enforcement authority**. - The Bureau shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in column (2) of the Table.

4. **Penalty for contravention.-** Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

[F. No. P-29026/14/2023-LEI]

SUMEET KUMAR JARANGAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. BHABAJIT DEKA